

1. उदयलाल पिता हीरालाल धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
2. घीसालाल पिता हीरालाल धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
3. हीरालाल पिता होकमा धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
4. छोटुलाल पिता होकमा धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
5. गोपाललाल पिता लालु धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
6. नगजीराम पिता हीरालाल धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
7. बालूलाल पिता हीरालाल धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
8. उँकारलाल पिता गंगाराम धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
9. तुलसीराम पिता गंगाराम धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
10. हरचंद्र पिता गंगाराम धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
11. माधु पिता गंगाराम धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
12. शंभुलाल पिता हीरालाल जटिया निवासी खैरमालिया तह0बेगू
13. लीलाशंकर पिता नारायण धाकड निवासी बंदेकारामनगर तह0बेगू

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगू
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 13

निर्णय दिनांक : .15.09.2020

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगू द्वारा डी.आई.एल.आर.एम. पी./DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश/ परिपत्र/ क्रमांक/ बीआर/ एलआर/ एन.एल.आर.एम.पी./एफ-126 /पार्ट-2/ 10164-96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 सह एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट जयनगर पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया दिनांक 18.08.2020 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली को आगामी पेशी 15.09.2020 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगू द्वारा उनके पत्रांक 1217 दिनांक 19.06.2019 से अवगत कराया कि ग्राम पलना का रामनगर में खाता संख्या 02 सं. 2070-73 आराजी संख्या 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 किता-19 रकबा 4.09 हैक्टर उदयलाल, घीसालाल पिता हीरालाल के हिस्सा 1/3, लालू, हीरा, छोटू पिता होकमा, प्यारी, गीता पिता होकमा, गोपाललाल पिता लालू, नगजीराम, बालू पिता हीरा, उँकार तुलसीराम, हरचंद्र पिता गंगाराम, उँकार, तुलसीराम, हरचंद्र माधु पिता गंगाराम का हिस्सा 24/125 आदि खेतीखान के नाम जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड होकर उक्त खाते में हिस्से अशुद्ध दर्ज है। अतः सरकार का कार्यक्रम DILRMP के तहत खातो के हिस्से डालकर उन्हें आनलाईन

9


प्रातःवापना-
जयनगर पर दिनांक 18.08.2020 को रखाया गया, पत्रावली नं. 1/15/2020
तारीख पर उपस्थित नहीं आए जिन्हें कैम्प कोर्ट, बेगू में सुना गया, प्रतिवादीगण
उपस्थित पक्षकारों ने बताया कि मौजा पलना का रामनगर में वादवर्णित आराजी किता-
19 रकबा 4.09 हैक्टर भूमि उनकी सामलाती भूमि है जो वर्तमान जमाबंदी के खाता
संख्या 02 पर उदयलाल, धीसालाल पिता हीरालाल के हिस्सा 1/3, लालू, हीरा, छोटू पिता
होकमा, प्यारी, गीता पिता होकमा, गोपाललाल पिता लालू, नगजीराम, बालू पिता
हीरा, उँकार तुलसीराम, हरचंद्र पिता गंगाराम, उँकार, तुलसीराम, हरचंद्र माधु पिता गंगाराम
का हिस्सा 24/125, उँकार का हिस्सा 18/375, तुलसीराम का हिस्सा 6/375 पिता
गंगाराम धाकड साकिन खैरमालिया एवं लीलाशंकर पिता नारायण धाकड साकिन बंदे
का रामनगर का हिस्सा 24/375, उँकार, तुलसीराम, हरचंद्र, माधु पिता गंगाराम, उँकार
तुलसीराम हरचंद्र पिता गंगाराम का हिस्सा 4/30 सानिक खैरमालिया, हरचंद्र का
हिस्सा 1/12, तुलसीराम का हिस्सा 1/24 पिता गंगाराम धाकड, शंभुलाल पिता
हीरालाल जटिया का हिस्सा 53/600 साकिन खैरमालिया दर्ज स्थित है। उक्त अशुद्ध
हिस्सा भूमि का विक्रय होकर नामान्तरण 16, 92 व 93 से दर्ज किया से हिस्से अशुद्ध
दर्ज हो गये हैं। उपस्थित सभी सहखातेदारान को मौका अनुसार एवं रेकार्ड के अनुसार
जानकारी दी गई कि मौजा पलना का रामनगर संख्या 02 सं. 2070-73 आराजी संख्या
71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
किता-19 रकबा 4.09 हैक्टर शुद्ध हिस्से इस प्रकार से होना चाहिए
उदयलाल, धीसालाल पिता हीरा का हिस्सा 1/3, हीरा, छोटू पिता-होकमा का हिस्सा
1/15, गोपाल पिता लालु का हिस्सा 1/45, नगजीराम का हिस्सा 1/45, बालू का
हिस्सा 1/45 पिता हीरालाल, उँकार का हिस्सा 1/10, तुलसीराम का हिस्सा 1/08,
हरचंद्र का हिस्सा 19/120, माधु का हिस्सा 17/600 पिता गंगाराम धाकड, शंभुलाल
पिता हीरालाल जटिया का हिस्सा 53/600 साकिन खैरमालिया, लीलाशंकर पिता
नारायण धाकड का हिस्सा 1/30 साकिन बंदे का रामनगर खातेदार उपरोक्त शुद्ध
हिस्से दर्ज होने के सम्बन्ध में ग्राम पलना का रामनगर में उपस्थित सहखातेदारान को
जानकारी दी गई जिन्होंने उक्त त्रुटीपूर्ण हिस्से उपरोक्तानुसार शुद्ध किये जाने हेतु
अपनी सहमति जाहिर करते हुए अपने सहमति हस्ताक्षर पत्रावली में अंकित किये हैं।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत रेकार्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट तथा
पर्चामौका का भी अवलोकन किया जिसमें पाया कि ग्राम पलना का रामनगर के खाता
संख्या 02 में दर्ज हिस्से जो कि वर्णित आराजी का विक्रय होने से खोले नामान्तरण में

9

से दर्ज किये जाने से हिस्से अशुद्ध दर्ज हुए है को DILRMP के तहत शुद्ध किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 एल. आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा पलाना का रामनगर की आराजी संख्या 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 किता-19 रकबा 4.09 हैक्टर शुद्ध हिस्से इस प्रकार से होना चाहिए उदयलाल, धीसालाल पिता हीरा का हिस्सा 1/3, हीरा, छोटू पिता होकमा का हिस्सा 1/15, गोपाल पिता लालु का हिस्सा 1/45, नगजीराम का हिस्सा 1/45, बालू का हिस्सा 1/45 पिता हीरालाल, उँकार का हिस्सा 1/10, तुलसीराम का हिस्सा 1/08, हरचंद्र का हिस्सा 19/120, माधु का हिस्सा 17/600 पिता गंगाराम धाकड, शंभुलाल पिता हीरालाल जटिया का हिस्सा 53/600 साकिन खैरमालिया, लीलाशंकर पिता नारायण धाकड का हिस्सा 1/30 साकिन बंदेकरामनगर खातेदार रहन बदस्तूर रखे जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।


(कैलाशचन्द्र गुर्जर)
सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

1. उदयलाल पिता हीरालाल धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
2. घीसालाल पिता हीरालाल धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
3. हीरालाल पिता होकमा धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
4. छोटुलाल पिता होकमा धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
5. गोपाललाल पिता लालु धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
6. नगजीराम पिता हीरालाल धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
7. बालूलाल पिता हीरालाल धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
8. उँकारलाल पिता गंगाराम धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
9. तुलसीराम पिता गंगाराम धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
10. हरचंद्र पिता गंगाराम धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
11. माधु पिता गंगाराम धाकड निवासी खैरमालिया तह0बेगू
12. शंभुलाल पिता हीरालाल जटिया निवासी खैरमालिया तह0बेगू
13. लीलाशंकर पिता नारायण धाकड निवासी बंदेकारामनगर तह0बेगू

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री गोपाल लाल बंजारा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.घा. 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 15.09.2020 को पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र गुर्जर आर.ए.एस सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.घा. 88 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा पलाना का रामनगर की आराजी संख्या 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 किता-19 रकबा 4.09 हैक्टर शुद्ध हिस्से इस प्रकार से होना चाहिए उदयलाल, घीसालाल पिता हीरा का हिस्सा 1/3, हीरा, छोटू पिता होकमा का हिस्सा 1/15, गोपाल पिता लालु का हिस्सा 1/45, नगजीराम का हिस्सा 1/45, बालू का हिस्सा 1/45 पिता हीरालाल, उँकार का हिस्सा 1/10, तुलसीराम का हिस्सा 1/08, हरचंद्र का हिस्सा 19/120, माधु का हिस्सा 17/600 पिता गंगाराम धाकड, शंभुलाल पिता हीरालाल जटिया का हिस्सा 53/600 साकिन खैरमालिया, लीलाशंकर पिता नारायण धाकड का हिस्सा 1/30 साकिन बंदेकारामनगर खातेदार रहन बदस्तूर रखे जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मृद्रा से जारी की गई है।

142
15-9-20

का

(कैलाशचन्द्र गुर्जर)

सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी)
बेगू जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगू को पालनार्थ प्रस्तुत है।